न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

निगरानी संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/59/2022	2022/90	24.02.2022	14.06.2022

—::उनवान::—

1. ज्ञानचन्द, प्रवर्तन अधिकारी, अलवर ग्रामीण

—प्रार्थी

बनाम

1. रहमदीन पुत्र रूस्तम निवासी घाटला तहसील अलवर राज0।
2. बच्चू खां पुत्र रहमदीन निवासी घाटला तहसील अलवर राज0।

—अप्रार्थीगण

प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जब्तशुदा 40 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मय जरिकेन एवं भूमिगत टैंक मय उसमें उपलब्ध पेट्रोलियम पदार्थ तथा डिस्पेंसिंग यूनिट को राजसात करने बाबत्

उपस्थितः—

01. श्री विनोद शर्मा —वकील अप्रार्थीगण

——:: निर्णय ::——

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जब्तशुदा 40 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मय जरिकेन एवं भूमिगत टैंक मय उसमें उपलब्ध पेट्रोलियम पदार्थ तथा डिस्पेंसिंग यूनिट को राजसात करने बाबत पेश किया है। प्रा0पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया। बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रा0पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि दिनांक 24.05.2021 को जिला रसद अधिकारी अलवर बहमराह तहसीलदार अलवर, मैनेजर रिटेल सैल्स, आईओसीएल श्री नवनीत, प्रवर्तन अधिकारी रवि जाधव, गिरदावर शाहपुर विरेन्द्र सिंह एवं हल्का पटवारी घाटला सुनील कुमार द्वारा खान फिलिंग स्टेशन, रेल्वे स्टेशन के पास, घाटला तहसील अलवर की जांच की गयी। जिसमें अप्रार्थीगण मौके पर उपस्थित मिले। जिनके द्वारा पैट्रोल पम्प व स्टॉक की जांच करवायी गयी। उक्त फिलिंग स्टेशन में समीर खांन पुत्र कन्नी निवासी झाडोली ग्राम पंचायत घाटला पार्टनरसिप होना बताया। दौराने जांच पम्प के वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये तथा बायो डीजल फर्मों की सूची में खान फिलिंग स्टेशन का नाम पंजीकृत होना नहीं पाया गया। पैट्रोल पम्प पर एक डिस्पेंसिंग यूनिट मय दो नोजल लगी हुई मिली जो भूमिगत टैंक से जुडी हुई थी। तलाशी के दौरान कैबिन में पैट्रोलियम पदार्थ का भण्डारण अवैध रूप से पाया गया जिसे मय जरिकेन जब्त कर मैनेजर रिटेल सैल्स आईओसीएल द्वारा एक—एक लीटर के पांच सैम्पल लिये गये। शेष 40 लीटर पैट्रोलियम पदार्थ मय जरिकेन कॉन्टेबल रविन्द्र मालखाना एलसी थाना सदर को सुपुर्दगी पर दिया गया। भूमिगत टैंक में उपलब्ध पैट्रोलियम पदार्थ को मापने पर 7.40 सेमी पैट्रोलियम पदार्थ पाया गया। जिसमें से सैल्स मैनेजर द्वारा एक—एक लीटर के पांच सैम्पल लिये गये तथा डिस्पेंसिंग यूनिट के दोनों नौजलों एवं भूमिगत टैंक को सीज किया गया एवं अप्रार्थीगण को भविष्य में इस पैट्रोल पम्प पर किसी भी प्रकार के पैट्रोलियम पदार्थ का भण्डारण, खरीद व बिक्री आदि नहीं करने हेतु निर्देशित किया गया। खांन फिलिंग स्टेशन के संचालक द्वारा वैध दस्तावेज पेश नहीं करने, अवैध रूप से पैट्रोल का भण्डारण, खरीद व विकय किया जाना प्रथमदृष्ट्या मोटर स्प्रिट और उच्च वैग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन पाया गया। जो आवश्यक वस्तु

अधिनियम की धारा 3/7 के तहत अपराध है। दोषियों के विरूद्ध सदर थाना अलवर में अनुसंधान हेतु एफआईआर दर्ज करवा दी गयी है। अतः प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जब्तशुदा 40 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मय जरिकेन एवं भूमिगत टैंक में सीजशुदा 7.40 सेमी पैट्रोलियम पदार्थ मय भूमिगत टैंक तथा डिस्पेंसिंग यूनिट मय नौजल को राजसात करने की कृपा करें।

अप्रार्थीगण ने जवाब प्रा0पत्र पेश कर निवेदन किया कि खांन फिलिंग स्टेशन घाटला में सुमेर खांन निवासी झाडोली की पार्टनरसिप नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा बायो डीजल अप्रार्थीगण के ट्रैक्टर अर्थात् स्वंय के उपयोग उपभोग के लिए रखा था। किसी भी प्रकार के विक्रय के लिए नहीं रखा गया है। मौके पर कोई खरीददार नहीं था। इसके अलावा बायो डीजल आवश्यक वस्तु अधिनियम से गवर्न नहीं होता है। उक्त अधिनियम की धारा 2 के तहत जिन पदार्थों पर लागू होता है वह ईसीएक्ट के तहत सरकार द्वारा परिभाषित नहीं किया गया है। इस प्रकार बायो डीजल पर धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू नहीं होता। पैट्रोल पम्प पर डिस्पेंसिंग यूनिट व नौजल लगे हुए नही थे। कैबिन में किसी प्रकार का पैट्रोलियम पदार्थ नहीं पाया गया। बल्कि मौके पर 40 लीटर जो पैट्रोल पाया गया वह अप्रार्थीगण के स्वंय के उपयोग उपभोग के लिए था जिसको गलत तरीके से सीज किया गया है। मौके पर भूमिगत टैंक में कोई पैट्रोलियम पदार्थ नहीं पाया गया बल्कि मौके पर बायो डीजल पाया गया था। अप्रार्थीगण द्वारा पैट्रोलियम पदार्थ का अवैध भण्डारण नहीं किया गया है। बायो डीजल के ट्रॉन्पोर्टेशन पर या बिक्री पर कोई पाबंदी नहीं है क्योंकि वह पैट्रोलियम पदार्थ नहीं है। इस संबंध में माननीय मुंबई उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया हुआ है। जिससे स्पष्ट होता है कि बायो डीजल आवश्यक वस्तु अधिनियम से गवर्न नहीं होता है। ऐसी स्थिति में बायो डीजल को गलत प्रकार से सीज किया गया है। जिसे राजसात नहीं किया जा सकता। उक्त नोटिस को ड्रॉप फरमाया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा पेश प्रा0पत्र बाबत राजसात एवं अप्रार्थीगण द्वारा पेश जवाब का अवलोकन व मनन किया। खांन फिलिंग स्टेशन दौराने जांच पम्प के वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये तथा बायो डीजल फर्मों की सूची में खान फिलिंग स्टेशन का नाम पंजीकृत होना नहीं पाया गया। पैट्रोल पम्प पर एक डिस्पेंसिंग यूनिट मय दो नोजल लगी हुई मिली जो भूमिगत टैंक से जुडी हुई थी, मापने पर 7.40 सेमी पैट्रोलियम पदार्थ पाया गया। कैबिन में पैट्रोलियम पदार्थ का भण्डारण अवैध रूप से पाया गया। जो प्रथमदृष्ट्या मोटर स्प्रिट और उच्च वैग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। जिला रसद अधिकारी अलवर को आदेशित किया जाता है कि जब्तशुदा 40 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मय जरिकेन एवं भूमिगत टैंक में सीजशुदा 7.40 सेमी पैट्रोलियम पदार्थ मय भूमिगत टैंक तथा डिस्पेंसिंग यूनिट मय नौजल को राजसात किया जाकर विधि अनुसार निस्तारण की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय प्रति जिला रसद अधिकारी अलवर को पालनार्थ भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.06.2022 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिव प्रसाद नकाते)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)